नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018
भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन करने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के दौरान नगर परिषद कुल्लू में निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती बिमला महंत	01.04.2016 से 31.03.2018 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारीः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री तेज सिंह ठाकुर (M.E.)	01.04.2016 से 31.03.2018 तक

(ख) नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि ₹ लाखों में
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	7 (क)	276.09
2	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	7 (ख)	1532.96
3	गृहकर, दुकानों का किराया व मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	8	80.62
4	जिला चुनाव कार्यालय से किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8 (ख)	13.80

5	बकीलों व टाइपिस्टों से देय किराये की शेष वसूली	8 (ग)	14.13
6	अस्थाई अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	9	38.57
7	कामकाजी महिला आवास के देय किराये की शेष वसूली	10 (क)	0.35
8	कामकाजी महिला आवास के रख–रखाव पर हानि	10 (ख)	5.08
9	पटटे की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	10 (ग)	0.19
10	दशहरा मेले के निर्धारित हिस्से की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	13	440.93
11	LED बल्बज की खरीद पर अनियमित व्यय	14	0.60
12	संविदाकार को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनियमित भुगतान	15	0.35
13	दशहरा मेला में पानी के छिडकाव हेतु संविदाकार को अधिक भुगतान	16	0.55
14	दशहरा मेला–2017 में सफाई व्यवस्था हेतु संविदाकार को अधिक भुगतान	17	2.50
15	गाड़ी की मुरम्मत पर निरर्थक व्यय	20 (घ)	0.60
16	विहित औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्थानीय प्रसारण हेतु अनियमित भुगतान	21	0.25
17	डीपीआर विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण जुर्माने का भुगतान	22 (क)	2.66
18	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर संविदाकार से जुर्माने की वसूली न करना	22 (ख)	0.56
19	संविदाकार से उच्च दरों पर सामान क्रय करने के कारण वित्तीय हानि	24 (ख) (2)	0.76
20	घर द्वार से कूड़ा उठाने हेतु भुगतान की सफाई ठेकेदार से वसूली न करना	28	1.88
21	VKVNY (MLALAD) शीर्ष क अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान राशि का संदिग्ध व्यय/उपयोग	31	40.00
22	घर द्वार से कूड़ा उठाने हेतु कार्य के अनियमित आबंटन से वित्तीय हानि	32 (क)	17.38

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु परिषद द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जबकि अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ करने पर अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 74 दिनाँक 4.8.2018 के द्वारा भी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू से इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु आग्रह किया गया था। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करके गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित गम्भीर प्रकृति वाले पैरों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री अजीत सिंह, सहायक नियन्त्रक द्वारा अवधि 3.8.2018 से 20.11.2018 तक के दौरान परिषद के कुल्लू स्थित कार्यालय में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2016–17	9/2016	12/2016
2017–18	6/2017	1/2018

प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है तथा नगर परिषद द्वारा किसी भी अधूरे अभिलेख अथवा गलत सूचना के उपलब्ध करवाये जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने के कारण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद कुल्लू के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹63000 (तरेसठ हजार रूपये) आंका गया। कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 145 दिनांक 20.11.2018 के द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मुख्य रोकड़ बही

नगर परिषद कुल्लू के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्त राशि (₹)	कुल राशि (₹)	व्ययित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	25349063	283806635	309155698	152764928	156390770
2017–18	156390770	126592627	282983397	202682950	80300447

बैंक समाधान विवरणी

	विवरण		**राशि (₹)**
	दिनाँक 31.3.2018 को रोकड़ बही का अन्तशेष		80300447
जमा (1)	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज जिसे रोकड़ बही में जमा नहीं किया है	1635816	
(2)	निर्गमित चैक जिनका 31.3.2018 तक बैंक से भुगतान नहीं हुआ	159202	(+)1795018
			82095465
घटाव	प्राप्त चैक जिन को बैंक द्वारा 31.3.2018 तक जमा नहीं किया है	125323	(–)125323
	समायोजन के उपरान्त रोकड़ बही का शुद्ध शेष		81970142.00
	बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष		**81970244.37**
	अन्तर		(–) 102.37
(1)	बैंक बचत खातों में जमा राशि		12534428.37 **परिशिष्ट 1 (क)**
(2)	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि		69435816.00 **परिशिष्ट 1 (ख)**
	बैंकों में जमा कुल राशि		81970244.37

(ख) ठोस कूड़ा प्रबन्धन परियोजना निधि

नगर परिषद कुल्लू द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन परियोजना स्थित पिरड़ी की अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया है।

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्त आय (₹)	कुल राशि (₹)	व्ययित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016—17	719352	455721	1175073	787510	387563
2017—18	387563	976146	1363709	551127	812582

	विवरण	राशि (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	812582.00
जमा	जारी चैक जिनका 31.3.2018 तक बेंक से भुगतान नहीं हुआ	(+)1412.00
	कुल राशि	**813994.00**
	बैंक खातों के अनुसार दिनाँक 31.3.2018 का अन्तशेष	814013.55
	शुद्ध अन्तर	**19.55**

(ग) IDSMT निधि की वित्तीय स्थिति

नगर परिषद कुल्लू द्वारा यथा **परिशिष्ट "ग"** प्रस्तुत सूचनानुसार IDSMT की अवधि 1.4.16 से 31.3.18 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल राशि (₹)	व्ययित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016—17	537589	—	537589	—	537589
2017—18	537589	43519	581108	—	581108

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.3.18 को अन्तशेष	₹581108
बचत खाता संख्या 6169 अनुसार दिनांक 31.3.2018 को अन्तिम शेष	₹581108
अन्तर	शून्य

(घ) HFA निधि की वित्तीय स्थिति

नगर परिषद कुल्लू द्वारा यथा **परिशिष्ट "घ"** प्रस्तुत सूचनानुसार HFA निधि की अवधि 1.4.16 से 31.3.18 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल राशि (₹)	व्ययित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016—17	00	9980490	9980490.00	155.25	9980334.75
2017—18	9980334.75	739144.00	10719478.75	4060705.00	6658773.75

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.3.18 को अन्तशेष	₹6658773.75

बचत खाता संख्या के अनुसार दिनांक 31.3.2018 को अन्तशेष	₹6658773.75
अन्तर	शून्य

(ङ) AMRUT निधि की वित्तीय स्थिति

नगर परिषद कुल्लू द्वारा यथा **परिशिष्ट "ङ"** में प्रस्तुत सूचनानुसार AMRUT की अवधि 1.4.16 से 31.3.18 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल राशि (₹)	व्ययित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	00	63914611	63914611	22556165	41358446
2017–18	41358446	114273841	155632287	4115361	15156926
	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.3.18 को अन्तशेष				₹151516926
	बैंक खाते के अनुसार दिनांक 31.3.2018 को अन्तशेष				₹151516926
				अन्तर	शून्य

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर का मिलान न करना

नगर परिषद द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 4 (क) व 4 (ख) में वर्णित रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष के अन्तर क्रमशः ₹102.37 व ₹19.55 का मिलान अंकेक्षण के दौरान नहीं किया गया जिसका समाधान करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 असंचालित बैंक खातों में शेष जमा राशि का निवेश सावधि जमा योजना में न करने के कारण ₹0.27 लाख की सम्भावित आय हानि

नगर परिषद कुल्लू द्वारा विभिन्न बैंकों में खोले गये खातो से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार लम्बे अन्तराल से असंचालित बचत खातों पर बैंकों से साधारण ब्याज की दर से ब्याज अर्जित हुआ तथा यदि वर्णित खातों में जमा शेष राशियों का निवेश सावधि जमा योजना में किया होता तो ब्याज के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹27035 की अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती थी। अतः इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 56 में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण हुई ब्याज आय की हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में बैंक खातों का रख–रखाव नियमानुसार करने के अतिरिक्त यदि वर्णित बचत खातों की कार्यशील उपयोगिता समाप्त हो गई हो तो इन्हें बन्द करके इनमें जमा राशि को अन्य

कार्यशील खाते में हस्तांतरित करके विकासात्मक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	खाते के असंचालित रहने की तिथि	राशि	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज (₹)	SMS प्रभार (₹)	दिनाँक 31.3.18 को अन्तिम शेष (₹)
1	पंजाब नैशनल बैंक	12804	26.11.15	26064	2694	156.46	28601.54
2	पंजाब नैशनल बैंक	56520	20.10.15	43530	4420	–	47950.00
3	कांगड़ा को–ओ0 बैंक	17443	3.1.2009	8975	3808	–	12783.00
4	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	613	17.11.15	406791	45360	–	452151.00
5	यूको बैंक	4959	7.10.16	12259	731	–	12990.00
6	यूको बैंक	25420	4.4.16	25276	2157	–	27433.00
7	यूनियन बैंक ऑफ	0938	1.2.16	61254	5980	–	67234.00

खाता सं0	राशि (₹)	जिस तिथि से खाता बन्द पड़ा था	अवधि जिस हेतु निवेश सम्भव था	कुल अवधि	सावधि जमा पर सम्भावित ब्याज दर	सावधि जमा के अन्त में सम्भावित परिपक्वता राशि (₹)	सावधि जमा पर प्राप्ति योग्य ब्याज (₹)	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज (₹)	ब्याज आय की हानि (₹)
12804	26064	26.11.15	26.11.17	2 वर्ष	7%	29944	3880	2694	1186
56520	43530	20.10.15	20.10.17	2 वर्ष	7%	50011	6481	4420	2061
17443	8975	3.1.09	3.1.18	9 वर्ष	7%	16472	7497	3808	3689
613	406791	17.11.15	17.11.17	2 वर्ष	7%	467355	60564	45360	15204
4959	12259	7.10.16	7.10.17	1 वर्ष	7%	13140	881	731	150
25420	25276	4.4.16	4.4.18	2 वर्ष	7%	29039	3763	2157	1606
0938	61254	1.2.16	1.2.18	2 वर्ष	7%	70373	9119	5980	3139
								कुल राशि	**27035**

7 अनुदान

(क) अनुदानों की राशि ₹276.09 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "7 (1) (2)"** के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2018 को गत वर्षों में प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹27609300 व्यय हेतु शेष थे जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि प्राप्त अनुदान निश्चित समय सीमा के भीतर निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग न करने के कारण जहाँ अनुदान निधि अनावश्यक तौर पर अवरूद्ध हुई है वहीं नगर परिषद के विकासात्मक कार्य प्रभावित होने के कारण क्षेत्र की आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपयोग अनुदान राशि ₹27609300 को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदानों की व्यय राशि ₹1532.96 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "7 1 व 2"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार प्राप्त अनुदानों से अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान वर्ष 2016–17 में ₹114607532 व वर्ष 2017–18 में ₹38689534 का व्यय किया दर्शाया गया था लेकिन नगर परिषद द्वारा बार–2 आग्रह करने पर भी व्यय से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर व जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाऐ जाने के कारण उक्त वर्णित व्यय की सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज करके सम्पूर्ण अभिलेख जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 गृहकर, दुकानों का किराया व मोबाईल टावर स्थापना/नवीनीकरण शुल्क का बकाया ₹80.62 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को निम्नविवरणानुसार ₹8062177 के राजस्व की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	बकाया राशि (₹)	परिशिष्ट संख्या
1	गृहकर	5537493	**6**
2	दुकानों का किराया	2155246	**5**
3	मोबाईल टावर स्थापना/नवीनीकरण शुल्क	369438	
	कुल बकाया राशि	**₹8062177**	

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्याः ULB-H (A) 1-87-9237-9284 दिनाँक 20.6.2001 द्वारा नगर पंचायत/परिषद के सचिवों व कार्यकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से गृहकर व अन्य बकाया राशियों की शत प्रतिशत वसूली करने हेतु निर्देशित किया था लेकिन उसके बावजूद भी अधिकाँश शुल्कों की राशि वसूली हेतु शेष है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि बकाया राशियों की वसूली हेतु यथाशीघ्र नियमानुसार ठोस पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के साथ–2 विकासात्मक कार्यों के लिए धन उपलब्ध हो सके।

(क) नियमानुसार राजस्व बकाया की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में न लाना

उक्त पैरा संख्या 8 में वर्णित विवरणानुसार नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.3.2018 को राजस्व बकाया ₹8062177 वसूली हेतु शेष था। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में वर्णित प्रावधान अनुसार यदि कोई राशि/टैक्स नगर पालिका शुल्क के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन के बाद भी यह राशि अदत रहती है तो सम्बन्धित नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यकारी अधिकारी/सचिव लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। उक्त अधिनियम के नियम 258 के उप–नियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित कार्यकारी/सचिव देयकर की राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित

फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी देय राशि भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित हे परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बकाया राजस्व की वसूली हेतु ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार राजस्व बकाया की वसूली हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) जिला चुनाव कार्यालय से देय भवन किराये ₹13.80 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट"8"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिला चुनाव कार्यालय को किराये पर दिये गये भवन का किराया चिरकाल से लम्बित चला आ रहा है जिसके कारण दिनाँक 31.3.2018 को ₹1380600 वसूली हेतु शेष थी तथा वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि उच्च स्तर पर सम्बन्धित विभाग से यह प्रकरण उठाकर वर्णित बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण का अवगत करवाया जाए।

(ग) जिला न्यायालय में वकीलों/टाईपिस्टों को उपलब्ध करवाये गये स्थान के देय किराये की बकाया ₹14.13 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "9"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जिला न्यायालय में वकीलों व टाईपिस्टों को उपलब्ध करवाये गये स्थान के किराये के रूप में दिनाँक 31.3.2018 को ₹1413320 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी तथा वसूली की दर बहुत ही धीमी होने के कारण वसूली हेतु बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 के उप–नियम (2) व (3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि नगर परिषद की लचर कार्यशैली को दर्शाती है। अतः उपरोक्त नियम के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹38.57 लाख समायोजन हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट 7 (1 से 13)** के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.3.2018 को अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹3857279 समायोजन हेतु शेष थी। अतः अस्थाई अग्रिमों का समायोजन यथासमय न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इनका शीघ्र समायोजन करने हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 कामकाजी महिला आवास ढालपुर जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

(क) कामकाजी महिला आवास किराया ₹0.35 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "10"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.18 कामकाजी महिला आवास के किराये के रूप में ₹35650 की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई थी जिसके कारण बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी हो रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) कामकाजी महिला आवास के रख–रखाव पर ₹5.08 लाख की हानि

नगर परिषद द्वारा संचालित कामकाजी महिला आवास स्थित ढालपुर जिला कुल्लू के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि श्रीमति शैलजा को महिला आवास में बतौर परिचारक के रूप में नियुक्त किया है तथा नगर परिषद द्वारा **"परिशिष्ट 11 ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2016–17 व 2017–18 में उनके वेतन स्वरूप ₹518436 का भुगतान नगर परिषद निधि से किया गया जबकि **परिशिष्ट "10"** के अनुसार कामकाजी महिला आवास से किराये के रूप में वर्ष 2016–17 व 2017–18 में कुल ₹10250 की वसूली की गई थी इस प्रकार नगर परिषद को कामकाजी महिला आवास के रख–रखाव पर वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 में ₹508186 (₹518436–10250) की हानि उठानी पड़ी है जो संस्था के हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "10"** में दिये गये नोट–1 के अनुसार महिला आवास में कुल 16 कमरों में से मात्र

6 कमरे ही महिलाओं को आगंटित किये गये थे तथा शेष 10 कमरे खाली पड़े थे। अतः खाली पड़े कमरों को किराये पर न देने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा खाली पड़े कमरों को किराये पर देने हेतु आवश्यक पग उठाए जाने सुनिश्चित की जाए ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि के साथ–2 इस सन्दर्भ में उक्त विवरणानुसार हो रही वित्तीय हानि की भरपाई हो सके। इसी प्रकार नोट–2 के अनुसार कामकाजी महिला आवास कि आधे भवन को सामाजिक कल्याण विभाग कुल्लू द्वारा Occupy किया है परन्तु इस सन्दर्भ में परिषद द्वारा सम्बन्धित विभाग किराये के रूप में कोई वसूली नहीं की जा रही है और न ही अंकेक्षण को वर्णित अवास आबंटन के नियम व शर्तों बारे कोई अभिलेख ही प्रस्तुत किया गया था। अतः यह सम्पूर्ण प्रकरण विभाग के उच्चधिकारियों के ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए लाया जाता है ताकि परिषद के हित सुरक्षित हो तथा वित्तीय हानि से भी बचा जा सके।

(ग) पटटे की राशि ₹0.19 लाख को सरकारी कोष में जमा न करना

दिनांक 14.2.1986 को उपायुक्त कुल्लू द्वारा हस्ताक्षरित Lease Deed के अनुसार कामकाजी महिला आवास स्थित ढालपुर में 14 बिस्वा पर बने भवन को अवधि 2.2.1980 से 1.2.2079 तक 99 वर्ष हेतु नगर परिषद कुल्लू को वार्षिक किराया ₹905.85 देने की शर्त के साथ पटटे पर दिया गया था। सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 2.2.1995 से 31.3.2018 तक किराये की अनुबन्धित राशि ₹19928.70 को जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–12** में दिया गया है, सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका Lease Deed की शर्त 2 (a) व (b) के दृष्टिगत या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पटटे की सक्रियता को चालू रखने हेतु अनुबन्धित पटटे की राशि को यथाशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 सिनेमा व वीडियो घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स (Show Tax) की वसूली न करना

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखों का अकेंक्षण करने के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा कुल्लू शहर में विभिन्न सिनेमा घरों/वीडियों हाल से हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8. 2000 के द्वारा निर्धारित ₹50 प्रति प्रदर्शन की दर से कर की वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा शहर में स्थापित सिनेमा घरों/वीडियों हालों को चिन्हित व आरम्भ से ही देय प्रदर्शन

कर (show Tax) की गणना करने के उपरान्त सम्बन्धित सिनेमाघर/ वीडियों हाल मालिकों से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12 तहबाजारी शुल्क

(क) तहबाजारी शुल्क से सम्बन्धित क्षेत्रवार रेहड़ी/फड़ी कारोबारियों का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

तहबाजारी शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तहबाजारी शुल्क जिस की प्रति सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुपालना हेतु पृष्ठांकन संख्याः MCK/Tax/00/08/175-176 दिनांक 11.2.2009 के द्वारा जारी की गई थी, के अनुसार अलग–2 क्षेत्रों में अलग–2 कारोबार हेतु स्थापित रेहडियों व फडियों की दरें अलग–2 निर्धारित की गई थी लेकिन तहबाजारी शुल्क की प्राप्ति हेतु रख–रखाव किए गए रजिस्टरों में रेहड़ी/फड़ी के क्षेत्र व कारोबार का कोई विवरण वर्णित नहीं था और न ही इनका विवरण Form R-4 (Coupan) में दिया गया था जिसके अभाव में प्राप्त तहबाजारी शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक रेहड़ी/फड़ी मालिक से प्राप्त तहाबाजारी शुल्क के लेखांकन हेतु खाताबही का रख–रखाव क्षेत्र व कारोबार के आधार पर प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि तहबाजारी शुल्क की प्राप्ति की जाँच उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित शुल्क दरों के अनुसार सम्भव हो सके।

(ख) सप्ताह के दौरान तहबाजारी शुल्क की अनियन्त्रित वसूली में सुधार लाना

वर्ष 2016–17 व 2017–18 में तहबाजारी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई कुछ तिथियों को प्राप्त तहबाजारी शुल्क सप्ताह के दौरान प्राप्त शुल्क से बहुत ही कम था जिसके कारण नगर परिषद को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है तथा इस सन्दर्भ में कम शुल्क वसूली के पीछे निम्न सम्भावित कारणों के घटित होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता अर्थात (1) तहबाजारी शुल्क की स्वेच्छा से वसूली न करना (2) शुल्क वसूली करके रसीद (Coupan) जारी न करना व प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन करना (3) डुपलीकेट रसीदें जारी करके प्राप्त शुल्क का दुर्विनियोजन करना इत्यादि शामिल है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि तहबाजारी शुल्क की प्राप्ति में बढौतरी करने के उद्देश्य से उपरोक्त घटकों की गहन छानबीन उपरान्त इन पर प्रत्यक्ष रूप में

अंकुश लगाने हेतु भी उचित कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा यदि सम्भव हो तो तहबाजारी शुल्क की वसूली मासिक आधार पर एक मुश्त अग्रिम रूप में की जाए जिस से न केवल नगर परिषद के श्रम की बचत होगी बल्कि शुल्क प्राप्ति में निरन्तरता के अतिरिक्त वृद्धि भी सम्भव हो सकेगी।

माह 9/2016 में प्राप्त किए गए तहबाजारी शुल्क का दैनिक विवरण

दिनाँक	रेहड़ी/फीडी मालिकों की सं0	प्राप्त तहबाजारी शुल्क (₹)
1.9.16	106	7253
2.9.16	98	6812
3.9.16	96	6640
4.9.16	43	2956
5.9.16	98	6676
6.9.16	92	6408
7.9.16	99	6801
8.9.16	108	7526
9.9.16	100	6915
10.9.16	96	6571
11.9.16	51	3464
12.9.16	105	7285
13.9.16	104	6977
14.9.16	112	7508
15.9.16	110	7313
16.9.16	91	6189
17.9.16	103	7089
18.9.16	59	3826
19.9.16	108	7368
20.9.16	113	7726
21.9.16	104	7295
22.9.16	90	6291
23.9.16	106	7343

24.9.16	108	7504
25.9.16	60	4054
26.9.16	108	7288
27.9.16	104	7205
28.9.16	108	7367
29.9.16	96	6627
30.9.16	96	6673

(ग) योग की त्रुटि के कारण ₹100 परिषद निधि में कम जमा करना

त्हबाजारी शुल्क संग्रह रजिस्टर के योगों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 12.9.16 की कुल प्राप्ति का योग अंकेक्षण गणनानुसार ₹7385 बनता था जबकि वर्णित रजिस्टर में योग ₹7285 दर्शा कर मुख्य रोकड़ बही भी ₹7285 ही गणना में लिए गए थे। इस प्रकार परिषद के बचत बैंक खाते में ₹100 की राशि कम जमा करवाई गई थी जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम जमा राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13 दशहरा मेला के दौरान आबंटित दुकानों व टैन्टों की कुल आय के निर्धारित हिस्से के रूप में ₹440.93 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः एल0सी0डी0–ई (1)–2/2002–खण्ड–1 दिनाँक 7.4.2005, जिसमें अध्यक्ष नगर परिषद कुल्लू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय शिमला में दायर केस संख्या CWP No. 797 of 2003 की सुनवाई पर दिये गये फैसले के अतिरिक्त दिनाँक 21.2.2005 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक, जिसमें (i) प्रधान सचिव (LAC) (ii) सचिव (वित्त) (iii) सचिव (UD)(iv) सचिव (Law) व अवर सचिव (LAC) उपस्थित थे, में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लिये गये निर्णय के सारांश को अग्रेषित किया है, द्वारा सूचित निर्णय के अनुसार दशहरा मेला के दौरान मेला मैदान में लगाए जाने वाले टैन्टस व दुकानों का किराया जिला प्रशासन की मेला कमेटी द्वारा निर्धारित व वसूल किया जाएगा तथा इस प्रकार प्राप्त कुल आय का 37% भाग जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद कुल्लू के खाते में आतरित करके जमा किया जाएगा। अंकेक्षण के

दौरान नगर परिषद कुल्लू द्वारा यथा **परिशिष्ट–13** उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 2005 से 2017 तक जिसमें वर्ष 2017 में आयोजित दशहरा मेला के दौरान दुकानों व टैन्टों के आबंटन से प्राप्त आय के आँकडे उपलब्ध शामिल नहीं थे, जिला प्रशासन को कुल ₹253358372 की आय प्राप्त हुई जिसमें से 37% हिस्से के हिसाब से ₹92958221 की राशि नगर परिषद के खाते में आंतरित करके जमा की जानी अपेक्षित थी लेकिन इसके विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद को उपरोक्त अवधि में केवल ₹55364702 की राशि प्राप्त हुई थी तथा अभी तक शेष ₹44093519 की राशि प्राप्त की जानी शेष है। अतः शेष राशि की वसूली हेतु इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के समक्ष उठा कर वर्णित बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 एल0ई0डी0 बल्बज की खरीद पर ₹59500 का अनियमित व्यय

माह 12/2016 में वाउचर संख्या 46 के द्वारा श्री दीनानाथ संविदाकार को 15 बाट के 100 बल्ब (LED) ₹595 प्रति बल्ब की दर से आपूर्ति करने हेतु कुल ₹59500 का भुगतान किया गया था जिसका नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(i) नगर परिषद द्वारा ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों से निविदाऐं आमन्त्रित की गई जो न तो बल्ब या बिजली के उपकरण/सामान बेचने के लिए अधिकृत थे और न ही पूर्व में बिजली के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत था।

(ii) संविदाकार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल लैटरपैड पर प्राप्त किया गया जिसमें जी0एस0टी0 या बिक्री कर क्रमाँक अंकित नहीं था। उपरोक्त के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संविदाकार को कृत भुगतान पर कितनी राशि बिक्री करके रूप में सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी।

(iii) नगर परिषद द्वारा 15 वाट LED बल्ब खरीदने हेतु अमन्त्रित निविदाओं में यह वर्णित नहीं था कि खरीद किस स्त्तर/Specification/ ब्रांड की जानी है और संविदाकार से प्राप्त बिल में भी आपूर्ति बल्ब की Specification बांड का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

अतः उपरोक्त खरीद बारे ऐसी फर्मों/व्यक्तियों जो बिजली के सामान की आपूर्ति करने हेतु पंजीकृत नहीं थे, से निविदाऐं आमन्त्रित करने, संविदाकार को कृत भुगतान के समर्थन में पक्का बिल प्राप्त न करके बिक्रीकर की चोरी करने व निविदाओं में/बिल में LED

बल्ब के ब्रॉंड का अंकित न होने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त पूर्ण छानबीन उपरान्त यदि माह 12/2016 में खरीदी गई LED ब्रांड हेतु प्रचलित दर से अधिक संविदाकार को भुगतान किया गया पाया जाता है तो अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए नगर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

15 संविदा में वर्णित अवधि के उपरान्त स्वेच्छा से कार्य करने हेतु संविदाकार को ₹0.35 लाख का अनियमित भुगतान

माह 12/2016 में वाउचर संख्या 48 के द्वारा श्री दीना नाथ संविदाकार को दशहरा 2016 के दौरान कूड़ा कचरा उठाने हेतु ट्रेक्टर्ज उपलब्ध करवाने के लिए ₹361570 का भुगतान किया गया था जिस का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निविदा की शर्तों के अनुसार दशहरा 2016 में अवधि 4.10.16 से 7.11.16 तक कूड़ा कचरा उठाने हेतु ₹1730 प्रति ट्रेक्टर की दर से भुगतान किया जाना था परन्तु संविदाकार को अतिरिक्त अवधि 8.11.2016 से 12.11.2016 तक 5 दिन के लिए 4 ट्रेक्टर उपलब्ध करवाने हेतु ₹1730 प्रति ट्रेक्टर की दर से ₹34600 (5x4x1730) का अतिरिक्त भुगतान किया गया जबकि कार्य की बढ़ौतरी हेतु संविदाकार को किसी भी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया था। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य निविदा में दर्शाई गई अवधि व बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के स्वेच्छा से कार्य करने के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनाधिकृत रूप में निष्पादित कार्य हेतु किये गये ₹34600 की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 संविदाकार को पानी का छिड़काव करने हेतु ₹0.55 लाख का देय राशि से अधिक भुगतान करना

माह 12/2016 में वाउचर संख्याः 49 के अन्तर्गत श्री दीना नाथ संविदाकार को दशहरा मेला–2016 के दौरान ट्रेक्टरों के द्वारा पानी का छिड़काव करने हेतु ₹335750 का भुगतान किया गया था जिसका उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु आमन्त्रित निविदाओं की शर्तों के अनुसार अवधि 20.10.2016 से 7.11.2016 तक मात्र दो ट्रेक्टरों से प्रतिदिन पानी का छिड़काव

किया जाना अनुबन्धित किया गया था लेकिन संविदाकार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल व प्रतिदिन पानी के छिड़काव पर लगाए गए ट्रेक्टरों की हाजिरी विवरणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 20.10.2016 से 12.11.2016 तक के दौरान 66 ट्रेक्टरों हेतु ₹1975 प्रति ट्रैक्टर की दर से ₹130350 का दावा प्रस्तुत किया गया था तथा जिसका भुगतान करते समय नगर परिषद द्वारा निविदाओं की शर्तों को दर किनार करते हुए संविदाकार को बिल में दर्शाई गई राशि का भुगतान कर दिया जबकि संविदाकार को अवधि 20.10.16 से 7.11.16 तक 2 ट्रेक्टर प्रतिदिन के हिसाब से केवल 38 ट्रेक्टरों (19 दिनx2) का ₹1975 प्रति ट्रेक्टर की दर से कुल ₹75050 का भुगतान देय बनता था। इस प्रकार निविदा की शर्तों के विपरीत संविदाकार को ₹55300(₹130350–₹75050) का अधिक भुगतान किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य निविदा की शर्तों के दृष्टिगत या तो स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान ₹55300 की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाकर अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

17 दशहरा मेला–2017 के दौरान सफाई व्यवस्था के कार्य निष्पादन हेतु संविदाकार को ₹2.50 लाख का अधिक भुगतान करना

दशहरा मेला–2017 के दौरान सफाई व्यवस्था के सन्दर्भ में आमन्त्रित निविदाओं में वर्णित शर्त संख्याः 5 के अनुसार संविदाकार द्वारा सफाई व्यवस्था में लगाए गये सफाई कर्मचारियों में से यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो ₹1000 प्रति कर्मचारी/प्रतिदिन की दर से बतौर जुर्माना की कटौती संविदाकार को किये जाने वाले भुगतान से की जाएगी। अंकेक्षण में श्री प्रवीन कुमार, सफाई व्यवस्था संविदाकार द्वारा उपरोक्त शर्त के दृष्टिगत निष्पादित कार्य से सम्बन्धित उपलब्ध करवाये गये सफाई कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 25.9.2017 से 21.10.2017 तक 27 दिन के लिए 150 सफाई कर्मचारियों के कुल 4050 श्रम दिवसों में से केवल 3687 श्रम दिवसों की उपस्थिति ही हाजिरी रजिस्टरों में दर्शाई गई थी तथा नगर परिषद द्वारा हाजिरी रजिस्टर में दर्शाई गई अनुपस्थितियों को गणना में न लेकर संविदाकार द्वारा अपने बिल में वर्णित सफाई कर्मचारियों की 189 कार्य दिवसों की गैर हाजिरी हेतु ₹591 प्रतिदिन व कार्य पर्यवेक्षक की एक दिन की अनुपस्थित हेतु ₹709 की दर से कुल ₹112408 की कटौती की गई थी जबकि अंकेक्षण की गणनानुसार 363 अनुपस्थित श्रम दिवसों हेतु निविदा की शर्त–5

के अनुसार ₹1000 प्रतिदिन की दर से ₹1363000 (363x1000) की कटौती संविदाकार के बिल से की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निविदा की शर्तों के प्रतिकूल ₹250592 (363000–1112408) का अधिक भुगतान किया गया जिस का औचित्य निविदा में वर्णित शर्तों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

18 दशहरा–2016 में सफाई व्यवस्था हेतु कृत भुगतान ₹22.80 लाख से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

श्री प्रवीन कुमार संविदाकार को दशहरा–2016 के दौरान सफाई का ठेका पत्र संख्या MCK/Sanitation/16/19151/ दिनांक 28.9.2016 द्वारा आबंटित किया गया था तथा जिस हेतु उन्हें माह 12/2016 में वाउचर संख्याः 50 के द्वारा ₹2280000 का भुगतान किया गया लेकिन टैन्डर फार्म के साथ संलग्न नियम व शर्तों के सन्दर्भ में निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण उक्त भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

(i) क्रम संख्या 2 में वर्णित शर्तानुसार अवधि 4.10.2016 से 20.10.2016 तक 100 सफाई कर्मियों तथा अवधि 21.10.2016 से 7.11.2016 तक 40 सफाई कर्मियों की तैनाती से सम्बन्धित अन्तिम सूची की प्रति नगर परिषद के स्वच्छता निरीक्षक को सौंपी जानी थी लेकिन नगर परिषद द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संविदाकार द्वारा कितने सफाई कर्मी सफाई व्यवस्था में तैनात किए गए थे,

(ii) शर्त संख्याः 5 के अनुसार अनुबन्धाधीन अवधि में प्रत्येक दिन सफाई कर्मियों की हाजिरी दिन में दो बार सुबह 7 बजे व बाद दोपहर 2 बजे लगाई जानी अपेक्षित थी और हाजिरी के समय किसी सफाई कर्मी के अनुपस्थित रहने की अवस्था में उस कर्मी को पूर्ण दिवस हेतु अनुपस्थित मानकर संविदाकार को देय राशि में से ₹1000 प्रतिदिन प्रति सफाई कर्मी की दर से कटौती करने का प्रावधान किया गया था लेकिन नगर परिषद द्वारा दशहरा मेला–2016 के दौरान संविदाकार द्वारा तैनात सफाई कर्मियों की उपस्थिति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में शर्त संख्या 5 के अनुसार अनुपस्थित सफाई कर्मियों के एवज में की जाने वाली कटौती का आंकलन सम्भव न हो सका।

(iii) शर्त संख्या 4 के अनुसार दशहरा मेला–2016 के दौरान सफाई हेतु प्रयोग होने वाली वस्तुऐं/कीटनाशक (फिनाइल, झाडु, किल्टा, चूना व अन्य कीटनाशक) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित थी जिसके लिए सफाई कार्य आबंटन से पूर्ण खर्च का आँकलन हेतु बनाई गई सूची के अनुसार निम्नलिखित वस्तुऐं/कीटनाशक खरीदने का प्रावधान/अनुमान लगाया गया थाः–

(1)	चूना 70 क्विंटल @ ₹1400 प्रति क्विंटल	98000
(2)	फिनाइल 800 लीटर @ ₹90 प्रति लीटर	72000
(3)	फिनाइल गोली 10 कि0ग्रा0 @ ₹400 प्रति कि0ग्रा0	4000
(4)	डोमेक्स 50 लीटर @ ₹100 प्रति लीटर	5000
(5)	किल्टे 100 @ ₹600 प्रति किल्टा	60000
(6)	झाडू 100 @ ₹170 प्रति झाडू	17000
(7)	कीटनाशक 20 कि0ग्रा0 @ ₹2000 प्रति कि0ग्रा0	40000
	योग	**₹296000**

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख में संविदाकार द्वारा उपरोक्त आंकलित सामग्री में से कितनी सामग्री खरीदी गई, के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने के अभाव में निविदा के आधार पर देय राशि की औचित्यता स्पष्ट नहीं की जा सकी।

अतः संविदाकार से उक्त वर्णित अभिलेख प्राप्त व तदानुसार अंकेक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 पानी बिलों का देय तिथि उपरान्त भुगतान करने पर ₹0.003 लाख के विलम्ब शुल्क की अदायगी करने के कारण वित्तीय हानि

माह 12/2016 में वाउचर संख्याः 70 के द्वारा सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग कुल्लू को निम्नलिखित पानी के बिलों का भुगतान देय तिथि के उपरान्त करने पर ₹345 (₹69X5) के विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे या तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित विलम्ब शुल्क की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

बिल सं0	बिल काटने की तिथि	देय तिथि	देय तिथि पर देय राशि	भुगतान करने की तिथि	भुगतान की गई राशि
71391	12.12.16	22.12.16	686	24.12.16	755
71390	12.12.16	22.12.16	686	24.12.16	755
71386	12.12.16	22.12.16	686	24.12.16	755
71387	12.12.16	22.12.16	686	24.12.16	755
71394	12.12.16	22.12.16	686	24.12.16	755
		योग	**3430**		**3775**

विलम्ब शुल्क भुगतान राशि ₹3775–₹3430=₹345

20 लॉग बुक

नगर परिषद कुल्लू की गाडियों की लॉग बुकों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित गाडियों को काफी समय से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था जिस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि घर–घर से कूड़ा उठाने के कार्य को ठेके पर दिये जाने व इस कार्य में कूड़े की ढुलाई डपिंग साईट तक ठेकेदारों द्वारा अपनी गाडियों से करने के कारण निम्न गाडियों को प्रयोग में नहीं लाया गया हैः–

गाड़ी सं0	मॉडल	गाड़ी का नाम	जिस दिनाँक से प्रयोग नहीं की गई	गाड़ी का बीमित मूल्य (₹)
HP-34-5066	1998	Telco-Open Trac Half Body	1.3.15	50000
HP-34B-0066	4/2003	Swaraj Mazda Tipper/Dumper	11.3.15	100030
		कुल बीमित मूल्य		**₹150030**

नगर परिषद द्वारा उक्त गाड़ियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध थे लेकिन कुशल प्रबन्धन के अभाव में वर्णित गाड़ियों को लम्बे अन्तराल से उपयोग में न लाने के कारण अब ये गाडियाँ चलाने योग्य रही भी है या नहीं, बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं की गईः–

(क) संस्था के पास पहला विकल्प यह था कि कुल्लू शहर की सफाई के कार्य हेतु दिये गये ठेके के दो भागों ((1) वार्ड संख्याः 1 से 6 (2) वार्ड संख्या 7 से 11) में से यदि एक भाग की

सफाई का कार्य नगर परिषद द्वारा अपने विभाग के 33 नियमित सफाई कर्मचारियों से करवाया जाता तो नगर परिषद द्वारा अकारण खड़ी उक्त वर्णित गाड़ियों का उपयोग होने के साथ–2, घर द्वार से कूड़ा उठाने के एवज में शहरवासियों से निर्धारित शुल्क की प्राप्ति करके नगर परिषद कोष पर सफाई के कार्य हेतु कृत व्यय के बोझ को कम किया जा सकता था।

(ख) नगर परिषद कुल्लू के पास दूसरा विकल्प यह भी था कि सफाई के ठेके को नगर परिषद की गाड़ियाँ कूड़े की ढुलाई हेतु उपलब्ध करवाने सहित दिया जाता तो नगर परिषद के स्थाई पदों पर तैनात तीन चालकों, (1) श्री राकेश कुमार (2) विजय प्रकाश (3) चेत राम, जिन्हें गाडियों को खड़ा रखकर, कार्यालय में बिठाया गया है, की सेवाओं का उपयोग होने के साथ–2 सफाई हेतु दत्त ठेकों की दरो को काफी हद तक कम किया जा सकता था जिससे परिषद के संसाधनों का समुचित उपयोग होने के अतिरिक्त सफाई पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकता था।

(ग) नगर परिषद के पास तीसरा विकल्प था कि यदि उक्त वर्णित गाड़ियों को उपयोग में लाना सम्भव नहीं था तो उनकी नियमानुसार नीलामी कर दी जाती और गाडियों के अच्छी हालत में चलने पर बेचने से प्राप्त होने वाले राशि को परिषद क्षेत्र की गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है तथा ऐसे में गाडियों के बिल्कुल नकारा होने की स्थिति में कबाड़ में बेचने से कम प्राप्त होने वाली राशि की हानि से भी बचा जा सकता था।

अतः यह सम्पूर्ण प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल मे लाने हेतु लाया जाता है ताकि परिषद के हितों को कोई नुकसान न हो तथा इस सन्दर्भ मे की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) गाड़ी संख्या HP-34 B-0066 की मुरम्मत पर ₹0.60 लाख का निरर्थक व्यय

उपरोक्त गाड़ी की लॉग बुक व मुरम्मत रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 3.3.2015 को ₹59950 का भुगतान मै0 नरेश रिपेयरिंग वर्कस ट्रक यूनियन कुल्लू को उनके बिल संख्या 461 दिनाँक 3.3.2015 के द्वारा गाड़ी की मुरम्मत करवाने हेतु किया गया लेकिन उक्त गाड़ी को दिनाँक 11.3.2015 के उपरान्त उपयोग में नहीं लाया गया था जैसा कि उक्त उप पैरा (ग) में भी स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार गाड़ी की मुरम्मत पर किया गया व्यय निरर्थक प्रतीत होता है जिसका घर–घर से कूड़ उठाने के कार्य को ठेके पर दिये जाने की योजना के दृष्टिगत पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे या तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा निरर्थक व्यय के रूप में हुई आर्थिक हानि की

भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

21 नियमानुसार विहित औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्थानीय प्रसारण हेतु ₹25000 का अनियमित भुगतान

माह 12/2016 में वाउचर संख्या 62 के द्वारा ₹25000 का भुगतान Mytv 7 को उनके बिल संख्या 447 दिनाँक 4.5.2016 के माध्यम से अवधि 28.4.2016 से 30.4.2016 तक आयोजित पीपल जातर उत्सव–2016 के Live telecast प्रसारण हेतु किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा तीन दिन के प्रसारण हेतु दत ₹25000 की दरों बारे हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम में किये गये प्रावधानानुसार कोई निविदा या दर संविदा का अभिलेख अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त फर्म को किया गया भुगतान बाजार की प्रचलित प्रतिस्पर्धात्मक दरों में सबसे न्यूनतम था। अतः इस सन्दर्भ में निविदाऐं आमन्त्रित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति एकल निविदा के आधार पर लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

22 (क) अमृतनाथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डीपीआर का कार्य यथासमय पूर्ण न करने के कारण ₹2.66 लाख की वित्तीय हानि

नगर परिषद द्वारा अभूतनाथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के सन्दर्भ में डीपीआर बनाने हेतु आमन्त्रित निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि मै0 विरेन्द्र पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लि0 की दरें न्यूनतम होने उन्हें नेगोशियेशन के उपरान्त उक्त कार्य ₹2100000+GST पर पत्र संख्याः एम0सी0/वर्कस/01/2614 दिनाँक 12.7.2017 द्वारा आबंटित किया गया था जिसे कार्य आबंटन की शर्त संख्या 4 के अनुसार 45 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था अन्यथा ₹21000 प्रतिदिन या अधिकतम 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त परियोजना से सम्बन्धित DPR यथासमय पूर्ण न करने के कारण इसे नगर परिषद द्वारा परियोजना निदेशक एवं उप–मुख्या कार्यकारी अधिकारी हिमुर्जा शिमला–9 को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने में असमर्थ रही तथा विलम्भ हेतु परियोजना निदेशक हिम उर्जा के पत्र संख्या HIMURJA/SHP/Abhootnath (23)/2015, 9998 दिनाँक 27.12.2017 व 7482 दिनाँक 28.8.

2017 के अनुसार "Extension fee for delay in submission of DPR" के रूप में ₹32500 व ₹234000 कुल ₹266500 की राशि का जुर्माना भरना पड़ा। इस प्रकार परिषद को ₹266500 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कार्य आबंटन पत्र की शर्तानुसार संविदाकार को किये जाने वाले भुगतान से DPR का कार्य यथा समय पूर्ण न करने के कारण देय जुर्माने की राशि ₹210000 की कटौती भी नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का यो तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए परिषद निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर संविदाकार से ₹0.57 लाख के जुर्माने की वसूली न करना

कार्य का नामः– C/O drain inner AB towards Math (damaged Portion)

अनुदानकर्ताः– SDRF

संविदाकार का नामः– श्री दीना नाथ

कार्य आबंटन पत्र संख्याः Mck.ME © Works 2016, 19246-48 दिनाँक 6.10.16

कार्य की समय सीमाः– 2 माह

कार्य समाप्ति की दिनाँकः– 30.10.2017 (प्रारूप MW 12)

उपरोक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार आबंटित कार्य 2 माह की समय सीमा के भीतर निष्पादित किया जाना अपेक्षित था तथा कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण न होने की अवस्था में ₹5696 प्रतिदिन या अधिकतम ₹56965 का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त बिल से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कार्य आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार संविदाकार के बिल से निर्माण कार्य 10 माह विलम्ब से पूर्ण करने पर देय जुर्माना ₹56965 की वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित देय जुर्माने की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

23 सक्षम प्राधिकारी से प्रवास यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करवाए बिना ₹0.04 लाख के यात्रा भत्ता का अनियमित भुगतान

माह 12/2016 में वाउचर संख्या 32 के द्वारा श्री तेज सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को उनके दिल्ली प्रवास अवधि 28.9.2016 से 1.10.2016 तक के यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹3900 का भुगतान किया गया जिसका उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उक्त प्रवास के यात्रा कार्यक्रम को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H-(A)-(7)-1/87-1] 20889-938 दिनाँक 4.3.2010 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को निर्देश जारी किये गये थे कि हिमाचल प्रदेश की सीमा से बाहर यात्रा करने से पूर्ण यात्रा कार्यक्रम को निदेशक, शहरी विकास से अनुमोदित करवाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के अभाव में किया गया यात्रा भत्ते का भुगतान अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी से यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करवाकर नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से कृत भुगतान ₹3900 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 स्टोर/स्टॉक

(क) भण्डार से निर्गमित बिजली के सामान के मांग पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि में बिजली के सामान से सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा क्रय करके व स्टॉक से जारी किये गये निम्नलिखित बिजली के सामान के समर्थन में किसी भी कर्मचारी जो शहर में विद्युत उपकरणों/स्ट्रीट लाईट की देखभाल व मुरम्मत करता है, से वास्तविक आवश्यकता की पुष्टि हेतु मांग पत्र प्राप्त नहीं किये थे जिसके अभाव में स्टोर/स्टॉक का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित

अभिलेख सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

क्रय की गई तार का विवरण

स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने की तिथि	खरीदी गई तार का विवरण	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनाँक	राशि (₹)
25.10.15	PVC wire 4mm 750 mtrs	M/S Rubi Elecrical Work Akhara Bazar Kullu	7382	19-10-15	6400
3.4.16	PVC wire 270 mtrs	M/S Rubi Elecrical Work Akhara Bazar Kullu	1945	30-4-16	2400
28.5.16	PVC wire 270 mtrs	M/S Rubi Elecrical Work Akhara Bazar Kullu	1958	28-5-16	2400
18.8.16	PVC wire 4mm 270 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	2299	18.8.16	2700
10.10.16	PVC wire 4mm 2340 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	3269	10.10.16	31200
27.1.17	PVC wire 4mm 180mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	3897	27.1.17	2400

17.2.17	PVC wire 4mm 180 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	3918	17.2.17	2995
22.2.17	PVC wire 4mm 180 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	4761	22.2.17	3000
27.2.17	PVC wire 4mm 180 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	4995	272.17	2800
3.3.17	PVC wire 4mm 90 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	4999	3.3.17	1200
3.10.17	PVC wire 4mm 6300 mtrs	M/S Rubi Electrical Works Akhara Bazar Kullu	72	28.9.17	102270

इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रय की गई बिजली तार के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ भी अपेक्षित हैः–

(i) दिनाँक 10.10.2016 व 3.10.17 को ₹31200 व ₹102270 की खरीद पर प्राप्त तार को दशहरा मेला–2016 व 2017 के लिए जारी किया गया दर्शाया है लेकिन मेला की समाप्ति पर कितनी तार को वापिस स्टॉक में प्राप्त किया गया इसका कोई उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में वर्णित बिजली के तार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता की गहन छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त विवरणानुसार अवधि 27.1.2017 से 3.3.2017 तक के दौरान खरीदी गई तार के प्रकरणों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्णित खरीद प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 व 98 में निविदाओं के आमन्त्रण हेतु निर्दिष्ट औपचारिकताओं से बचने के उद्देश्य से तार की खरीद छोटे–2 गुणकों में बिल बनाकर की गई थी जोकि उक्त वर्णित वित्तीय नियमावली के नियम 100 के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की एकल निविदा के आधार पर कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार बल्ब एल0ई0डी0 बल्ब व एल0ई0डी0 फिक्सचर का क्रय किया गया थाः–

स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने की तिथि	मद नाम	मद सं0	फर्म का नाम जिससे सामान खरीदा गया	बिल सं0	दिनाँक	राशि (₹)
23.4.16	बल्ब 100 वॉट	200	मै0 रूबि इलैक्ट्रिकल वर्कस अखाड़ा बाजार कुल्लू	1940	23.4.16	3000
10.11.15	एल0ई0डी0 बल्ब 7 वॉट	450	–यथोपरि–	89453	10.11.15	45000
3.2.16	एल0ई0डी0 बल्ब 7 वॉट	500	मैस	1501	2.2.16	50000
18.10.16	बल्ब 100 वॉट	200	मै0 रूबि इलैक्ट्रिकल वर्कस अखाड़ा बाजार कुल्लू	3464	18.10.16	3000
22.2.17	बल्ब 100 वॉट	40	मै0 रूबि इलैक्ट्रिकल वर्कस अखाड़ा बाजार कुल्लू	4761	22.2.17	3000
26.10.16	एल0ई0डी0	100	श्री दीना नाभ	शून्य	26.10.16	59500

	15 वॉट		ठेकेदार			
20.10.15	एल0ई0डी0 फिक्सचर	15	मै0 रूबि इलैक्ट्रिकल वर्कस अखाड़ा बाजार कुल्लू	7153	20.10.16	34500
4.10.16	एल0ई0डी0 फिक्सचर	70	श्री दीना नाभ ठेकेदार	शून्य	4.10.16	237650

उपरोक्त वर्णित क्रय प्रकरणों का उपलब्ध करवाये गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण के दौरान स्ट्रीट लाईटों से सम्बन्धित कोई सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया कि किस–2 वार्ड में स्ट्रीट लाईटो के कितने प्लांइट थे तथा स्टॉक रजिस्टर से जारी बल्बों, एल0ई0डी0 बल्बों व एल0ई0डी0 फिक्सर को किस वार्ड के किस स्थान पर लगाया गया है जिस के अभाव में क्रय की गई सामग्री की उपयोगिता का सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका। अतः स्ट्रीट लाईटों से सम्बन्धित सम्पूर्ण अपेक्षित अभिलेख तैयार करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) संविदाकार से उच्च्व दरों पर बिजली का सामान क्रय करने के कारण ₹0.77 लाख की वित्तीय हानि

दिनाँक 20.10.2015 व 4.10.2016 को क्रय की गई एल0ई0डी0 फिक्चर की दरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया कि श्री दीना नाथ संविदाकार से क्रय की गई एल0ई0डी0 फिक्सर की दर ₹237650/70=₹3395 प्रति फिक्चर थी जबकि मै0 रूबि इलैक्ट्रिकल वकर्स अखाड़ा बाजार की दर 34500/15=₹2300 प्रति फिक्चर थी। इस प्रकार यदि निविदाऐं मै0 रूबि इलैक्ट्रिकल वर्कस से भी ली जाती तो नगर परिषद को (3395–2300) x70=₹76650 की बचत हो सकती थी। अतः इलैक्ट्रिकल व्यवसाय करने वाली फर्मों से निविदाऐं आमन्त्रित न करने की अपेक्षा संविदाकार से उच्च दरों पर एल0ई0डी0 फिक्चर का क्रय करने के कारण परिषद का ₹76650 की वित्तीय हानि हुई है जिसका या तो नियमानुसार

पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की उचित स्त्रोत से भरपाई सुनिश्चित की जाए।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि दिनाँक 4.10.2016 को श्री दीनानाथ संविदाकार से क्रय की गई 70 एल0ई0डी0 फिक्सर में से दिनाँक 21.2.2017 तक केवल 60 मदों को स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्थापित किया गया दर्शाया है जबकि 10 मदों को दिनाँक 21.2.2017 से 20.11.2018 तक अर्थात वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट विदित होता है कि नगर परिषद द्वारा ₹33950=10x237650/70 का व्यय LED Fixture की आवश्यकता न होने पर किया गया था जिसके कारण जहां परिषद निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः स्टोर/स्टॉक का क्रय वास्तविक आवश्यकता से अधिक करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संस्था स्तर पर पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त वर्णित शेष 10 LED Fixture का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार संस्था की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए।

(ग) भण्डार का भौतिक सत्यापन न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि में बिजली के स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 169 के अनुसार नहीं करवाया गया था जिसके अभाव में स्टोर/स्टॉक में दर्शाई गई शेष व स्थापित मदों के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण नहीं की जा सकी। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

25 निर्माण सामग्री से सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

माह 12/2016 में वाउचर संख्या 40 के द्वारा निम्नविवरणानुसार क्रय किये गये सीमेंन्ट के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा सीमेंन्ट स्टॉक रजिस्टर के अतिरिक्त निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई अन्य सामग्री जैसे रेत व बजरी का कोई भी स्टोर/स्टॉक अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 114, दिनाँक 9.10.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अपेक्षित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में सीमेंन्ट के साथ प्रयोग की गई अन्य सामग्री के क्रय व खपत का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण पर प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सीमेन्ट के अतिरिक्त अन्य निर्माण सामग्री के स्टोर/स्टॉक रजिस्टर को सत्यापना हेतु आगामी अकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

बिल सं0	**दिनाँक**	**फर्म का नाम**	**मात्रा**	**दर (₹)**	**कुल राशि (₹)**
2754	28.9.16	मै0 मनोहर सन्ज कुल्लू (हि0प्र0)	सीमेंन्ट 27 बैग	350	9450
2744	30.8.16	–यथोपरि–	28 बैग	350	9800
2801	31.10.16	–यथोपरि–	28 बैग	350	9800
				कुल राशि	₹29050

26 ठोस कूड़ा–कचरा प्रबन्धन परियोजना के लेखों का उचित रख–रखाव न करना

ठोस कूड़ा कचरा प्रबन्धन परियोजना की रोकड़ बही व बैंक खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना व स्वः स्त्रोतों एवं अनुदान से सम्बन्धित आय–व्यय मदों का उचित वर्गीकरण न करने के कारण एक शीर्ष से सम्बन्धित आय–व्यय को दूसरे शीर्ष की रोकड़ बही में लेखांकित करके तदानुसार बैंक खातो को संचालित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप दोनों निधियों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आंकलन सम्भव नहीं हो सका। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि दोनों निधियों के लेखों का रख–रखाव शीर्षवार उचित वर्गीकरण करके आय–व्यय की मदों का लेखांकन सम्बन्धित रोकड़ बही/बैंक खाते में किया जाए ताकि वर्णित खातों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आंकलन सम्भव हो सके।

27 कूड़ा छंटाई कार्य के ठेके को पूर्व वर्ष की तुलना में 121.50% अप्रत्याशित वृद्धि के साथ आबंटित करना

अंकेक्षणाधीन अवधि में कूड़ा छंटाई कार्य हेतु आमन्त्रित निविदाओं व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा पूर्व अवधि 1.9.16 से 31.8.17 तक श्री दान सिंह

संविदाकार को कूड़ा छंटाई का कार्य ₹149000 प्रतिमाह की दर से आबंटित किया गया था तथा वर्तमान अवधि 1.10.2017 से 30.9.2018 तक इसी कार्य को पूर्व में आबंटित कार्य की नियम व शर्तो पर ₹330000 प्रतिमाह की दर से श्री राम सिंह संविदाकार को आबंटित किया गया जोकि गत वर्ष की दरों से 121.50% अधिक है। इस प्रकार वर्ष 2017–18 में ठेके की दरों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि का औचित्य स्पष्ट करने हेतु नगर परिषद द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित Justification of rates अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए तथा इससे ऐसा संशय होता हे कि ये Rates तैयार ही नहीं किए गए है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है।

28 घर द्वार से कूड़ा उठाने हेतु संविदाकार के behalf में सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने पर ₹1.88 लाख की ठेकेदार से वसूली न करना

घर द्वार से कूड़ा उठाने हेतु मै0 सक्षम इन्टरप्राईजिज को दिये गये ठेके से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने ठेकेदार से उसके द्वारा सफाई व्यवस्था पर लगाये गये सफाई कर्मचारियों के EPF जमा करवाने बारे अभिलेख उपलब्ध करवाने की मांग की गई तथा ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाने पर नगर परिषद ने ठेकेदार के माह 3/2016 के बिल की अदायगी रोक दी जिसके परिणामस्वरूप सफाई व्यवस्था पर लगाये गये सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ठेकेदार द्वारा न करने पर सफाई कर्मचारियों के न्यायालय में जाने तथा न्यायालय द्वारा नगर परिषद को प्रथम नियोक्ता करार देते हुए माह 3/2016 के वेतन का भुगतान करने के आदेश पारित किये जिसकी अनुपालना में नगर परिषद को निम्न विवरणानुसार ₹338664 का भुगतान करना पड़ाः–

दिनाँक	**वा0सं0**	**सफाई कर्मचरियों की सं0**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
12.6.2017	1	49	256960
4.7.2017	6	9	42572
4.9.17	11	6	39132
		कुल राशि	**₹338664**

ठेके की शर्तों के अनुसार नगर परिषद द्वारा मै0 सक्षम ट्रेनिंग फैसिलिटी मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 को प्रतिमाह ₹250000 देने थे तथा इस राशि में से ठेकेदार द्वारा घर–द्वार से कूड़ा

उठाने के एवज में शहरवासियों से निर्धारित दरों पर की गई वसूली में से ₹100000 नगर परिषद के खाते में जमा करवानी थी या ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान के बिल से कटौती करके ₹150000 का शुद्ध भुगतान किया जाना था। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को देय माह 3/2016 के बिल की अदायगी रोकने के कारण न्यायालय के आदेश पर ₹188664=(₹338664–150000) का अधिक भुगतान करना पड़ा जिसकी प्रतिपूर्ति अभी तक ठेकेदार से नहीं की गई है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त ₹188664 की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

29 Incinerator Plant (भस्मक) से प्राप्ति योग्य राशि को विलम्ब से जमा करने पर अनुबन्ध की शर्तानुसार देय जुर्माने की वसूली न करना

दिनाँक 9.12.2011 को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू व M/S Enviro Engneers Shimla, Thakur Sadan Chalaunthi, Sanjoli, Shimla-6 के मध्य हुए अनुबन्ध की शर्त–6 के अनुसार मै0 एनविरो इंजीनियरज को नगर परिषद कुल्लू द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना पिरड़ी में स्थापित भस्मक (Incinerator Plant) के रख–रखाव व संचालन हेतु विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त राशि में से ₹20000 बतौर चुंगी/शुल्क नगर परिषद कोष में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करवाना अपेक्षित है तथा इस शर्त की अवहेलना करने पर ₹100 प्रतिदिन की दर से रायल्टी/चुंगी जमा करवाने की तिथि तक बतौर जुर्माना जमा करवाने का भी प्रावधान किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मै0 एनाविरो इजीनियरज शिमला द्वारा उक्त वर्णित शर्तानुसार अनुबन्धित राशि को यथासमय जमा न करवाकर निम्न विवरणानुसार विलम्ब से जमा करवाने पर नगर परिषद द्वारा उक्त फर्म से जुर्माने की वसूली नहीं की गई जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय जुर्माने की राशि की परिषद स्त्तर पर गणना करने सम्बन्धित राशि की उचित स्त्रोत पर वसूली सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में चुंगी की वसूली का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनाँक	वसूल की गई राशि (₹)	अभियुक्ति
27.3.17	240000	प्राप्त राशि की अवधि का विवरण न तो प्रस्तुत अभिलेख में स्पष्ट किया गया और न ही परिषद द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया।
15.1.18	160000	
8.3.18	100000	

30 नगर परिषद द्वारा भस्मक सयन्त्र के संचालन हेतु देय रायल्टी राशि में बढ़ौतरी के लिए अपेक्षित अभिलेख प्राप्त न करने के कारण सम्भावित वित्तीय हानि

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू व मै0 एनाविरो इंजीनियरज के मध्य दिनाँक 9.12.2011 को हुए अनुबन्ध की शर्त–8 के अनुसार मै0 एनाविरो इंजीनियरज शिमला को प्रत्येक वर्ष का तुलन पत्र (Balance Sheet), जिसमें कम्पनी के कुल लाभ/हानि का विवरण दिया हो, को नगर परिषद कुल्लू को प्रस्तुत करना तथा भस्मक के संचालन में प्राप्त कुल आय के आधार पर रायल्टी की अनुबन्धित राशि ₹20000 में बढ़ौतरी का प्रावधान किया गया है परन्तु अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में न तो मै0 एनाविरो इंजीनियरज शिमला से वार्षिक तुलन पत्र (Balance Sheet) ही प्राप्त किया गया था और न ही रायल्टी की राशि ही बढ़ाई गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियतिता है तथा इससे स्पष्ट होता है कि नगर परिषद अपने स्त्रोतों से प्राप्ति योग्य आय को बढ़ाने के प्रति संवेदनशील नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करके अनुबन्ध की शर्तानुसार रायल्टी की राशि को बढ़ाने बारे उचित कार्यवाही अमल में लाकर देय बकाया रायल्टी राशि की फर्म से वसूली सुनिश्चित की जाए । तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

31 VKVNY (MLALAD) शीर्ष के अन्तर्गत सतसंग सभा भवन व सामुदायिक भवन अखाड़ा बाजार कुल्लू के निर्माण हेतु स्वीकृत एवं प्राप्त अनुदान ₹40 लाख के उपयोग में पाई गई अनियमितताऐं

VKVNY (MLALA) शीर्ष के अन्तर्गत जिलाधीश कुल्लू के स्वीकृति पत्र संख्याः PLG KLU (F)-5-1/2017-5579-80 दिनांक 25.1.2018 द्वारा ₹20 लाख की राशि सतसंग सभा भवन के निर्माण कार्य हेतु व पत्र संख्याः PLG KLU (F)-5-1/2017-5548-87 दिनांक 24.01.2018 द्वारा ₹20 लाख की राशि सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत करके कुल ₹40 लाख अनुदान की राशि नगर परिषद कुल्लू के खातों में अंतरण करके कार्य निष्पादन हेतु जमा की गई थी । अनुदान स्वीकृति पत्रों जिसका विवरण **परिशिष्ट "17 1 से 4"** में दिया गया है, में वर्णित शर्तों के दृष्टिगत अनुदान राशि के उपयोग का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका यथोचित समाधान अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) अनुदान स्वीकृति की शर्तों के विपरीत निर्माण कार्य अपने स्तर पर निष्पादित करने की अपेक्षा प्राप्त अनुदान राशि सीधे लाभार्थी संस्था को चैक द्वारा अनियमित रूप से नकद वितरित करना

अनुदान स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तानुसार ₹40 लाख की प्राप्त अनुदान राशि नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर निम्नलिखित निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सभी विहित औपचारिकताऐं जैसेकि निर्माण कार्य के Estimate design व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो, टेडरिंग प्रक्रिया (Tendering Process) इत्यादि पूर्ण करके उपयोग की जानी अपेक्षित थीः–

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुदान राशि (₹)
1	C/O Satsang Sabha Building at Akhara Bazar Kullu	2000000
2	C/O Samudayak Bhawan Ramshila Akhara Bazar Kullu	2000000

इसके अतिरिक्त उपरोक्त निर्माण कार्य पर व्यय राशि का भुगतान करने से पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निष्पादित कार्य का आंकलन करके भुगतान प्राधिकृत करना तथा व्यय से सम्बन्धित प्रत्येक बिल/वाउचर माप पुस्तिका में दर्ज करके ही भुगतान करना भी अनुदान की शर्तों में स्पष्ट प्रावधित किया गया था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनुदान स्वीकृति पत्र में वर्णित उपरोक्त सभी शर्तों को दर किनार करते हुए प्राप्त अनुदान राशि को अपने स्तर पर उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन पर खर्च करने की अपेक्षा निम्नविवरणानुसार सीधे लाभार्थी संस्था को चैक द्वारा नकद वितरित किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकताः–

क्रमांक	वा0सं0	चैक सं0	दिनांक	राशि (₹)
1	48	45496	22.2.18	1000000
2	10	45510	07.3.18	1000000
3	69	45538	24.3.18	1000000
4	47	000046	19.4.18	1000000

(ख) लाभार्थी संस्था द्वारा अनुदान उपयोग के समर्थन में प्रस्तुत बिल/वाउचरों में पाई गई अनियमितताएं

(i) प्रधान सत्संग सभा कुल्लू द्वारा उपरोक्त प्राप्त ₹40 लाख अनुदान के उपयोग से सम्बन्धित नगर परिषद को प्रस्तुत बिल/वाउचर जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "18 (1 से 4)"** में

दिया गया है की जाँच करने पर पाया गया कि प्रस्तुत सभी बिल/वाउचरों द्वारा व्यय/भुगतान नगर परिषद कार्यालय से अनुदान जारी चैकों की तिथि से पूर्ण हो चुका था जिससे स्पष्ट विदित होता है कि उक्त संस्था द्वारा पूर्व में किसी निर्माण कार्य के लिए क्रय निर्माण सामग्री एवं श्रम मजदूरी भुगतान की प्रतिपूर्ति करने हेतु बिल/वाउचर प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग के समर्थन में नगर परिषद को प्रस्तुत किए है तथा इस प्रकार ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि उक्त अनुदान राशि का निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग नहीं किया गया है। नगर परिषद द्वारा अनुदान उपयोग की शर्तों को दर किनार करते हुए अनुदान स्वीकृति/जारी करने की तिथि से पूर्व के केवल निर्माण सामग्री क्रय/श्रम मजदूरी भुगतान के प्रस्तुत बिलों पर निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकूल अनुदान राशि से व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत बिल/वाउचर द्वारा क्रय निर्माण सामग्री एवं श्रम मजदूरी भुगतान का सम्पूर्ण लेखा जोखा, आंकलन स्टॉक उपयोग विवरणी कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं माप पुस्तिका सहित इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण सामग्री एवं श्रम शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया है। यह भी प्रस्तुत अभिलेख में स्पष्ट नहीं किया गया कि वर्णित अनुदान राशि के उपयोग से अपेक्षित भवन निर्मित हुए है तथा उनका स्वामित्व किसके अधीन है।

(iii) नगर परिषद द्वारा तथ्य छुपाकर अनुदान उपयेागिता प्रमाण पत्र जारी करना

नगर परिषद द्वारा सत्संग सभा भवन व सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान की राशि ₹40 लाख को चैकों के माध्यम से प्रधान सत्संग सभा अखाड़ा बाजार कुल्लू को देने के उपरान्त व लाभार्थी/संस्था द्वारा सम्पूर्ण अनुदान राशि को अनियमित ढ़ंग से उपयोग दर्शाने तथा निष्पादित कार्य का आंकलन अनुदान की शर्तों के दृष्टिगत तकनीकी रूप से न करके प्रस्तुत बिल/वाउचरों द्वारा दर्शाए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने सम्बन्धी तथ्यों को छुपाकर अनुदान स्वीकृति दाता प्राधिकारी उपायुक्त कुल्लू को पत्र संख्या MCK/ME ©-2313/2018, दिनांक 13.6.2018 के माध्यम से प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र में उपरोक्त वर्णित कार्य को नगर परिषद कुल्लू द्वारा अपने स्त्तर पर निष्पादित किया गया दर्शा कर जारी किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है।

(उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट 19 (1 से 3) में दी गई है)

अतः यह सम्पूर्ण प्रकरण निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में उचित छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

32 अवधि 1.8.2014 से 31.3.2015 तक घर–घर से कूड़ा कचरा उठाने की योजना का विशेष अंकेक्षण करने के दौरान पाई गई अनियमितताएं

उपायुक्त कुल्लू के पत्र संख्या 690 दिनाँक 6.10.16 के सन्दर्भ में घर–द्वार से कूड़ा कचरा उठाने की योजना का विशेष अंकेक्षण श्री राम लाल सहायक नियन्त्रक व श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 के निधियों के अंकेक्षण के साथ किया गया था जिस में पाई गई अनियमितताओं का वर्णन अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है जिस सन्दर्भ में यथोचित कार्यवही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) घर–द्वार से कूड़ा उठाने का कार्य विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना आबंटित करने के कारण ₹17.23 लाख की वित्तीय हानि

मै0 सनसाईन इन्टरप्राईजिज चण्डीगढ़ को उनके द्वारा दिये गये अनुरोध पत्र व परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्याः 19 के अनुसार जून 2014 से घर–द्वार से कूड़ा उठाने के कार्य का ठेका आबंटन विभिन्न शर्तों के अधीन इस आधार पर किया गया कि प्रत्येक घर/कार्यालय स्कूल बैंक, ढाबा, नर्सिंग होम, अस्पताल व अन्य संस्थानों के घर–द्वार से कूड़ा उठाने हेतु निर्धारित शुल्क की वसूली कम्पनी स्वयं करेगी तथा उसी राशि में से कम्पनी द्वारा कूड़ा उठाने हेतु नियुक्त सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी किया जाएगा ताकि नगर परिषद पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस कार्य के आबंटन से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 112 से 121 में कन्ट्रेक्टिंग एवं Outsoursing of Services सम्बन्धी विभिन्न सेवाओं की प्राप्ति हेतु कार्य आबंटन के सन्दर्भ में किये गये विहित प्रावधानों/प्रक्रियाओं की पूर्णतया अनुपालना नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त मै0 सनसाईन इन्टरप्राईजिज द्वारा कार्य आबंटन के दो माह पश्चात ही उक्त कार्य को पूर्व में निर्धारित शर्तों पर निष्पादित करने में अपनी असमर्थतता जताई क्योंकि नगर वासियों से उन्हें घर–द्वार से कूड़ा उठाने हेतु निर्धारित शुल्क की प्राप्ति नहीं हो रही है तथा पुनः नगर परिषद पर दबाव बनाया कि उन्हें ₹600000 प्रतिमाह की दर से ठेका दिया जाए व शहरवासियों से घर–द्वार से कूड़ा उठाने के एवज में निर्धारित शुल्क की वसूली नगर परिषद द्वारा स्वयं की जाए। इसी क्रम में नगर

परिषद ने पुनः बिना कोई निविदाऐं व उक्त वर्णित नियमानुसार विहित औपचारिकताऐं/प्रक्रिया पूर्ण किए बिना तथा नगर परिषद हाऊस की स्वीकृति के बगैर पूर्व में निर्धारित नियम व शर्तों पर ही वर्णित कार्य का आबंटन मै0 सनसाईन इन्टरप्राईजिज को ₹6 लाख प्रतिमाह की दर से कर दिया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सन्दर्भ में यहां यह प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है कि इस कार्य के पुनः आबंटन से पूर्व मै0 सुलभ इन्टरप्राईजिज द्वारा उनके पत्र संख्या शून्य दिनांक 20.9.2014 के माध्यम से प्रधान, नगर परिषद कुल्लू से घर–द्वार से कूड़ा उठाने का कार्य आबंटित करने का अनुरोध किया गया था जिसमें उन्होने स्पष्ट किया था कि घर–द्वार से कूड़ा उठाने हेतु निर्धारित शुल्क की वसूली शहर वासियो से वे स्वयं करके उसी राशि में से इस व्यवस्था में लगाए जाने वाले सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करेगे लेकिन नगर परिषद द्वारा उनके अनुरोधानुसार कूड़ा उठाने के कार्य का आंबटन उन्हें न करके पुनः मै0 सनसाईन इन्टरप्राईजिज चण्डीगढ़ को किया गया जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को निम्नविवरणानुसार अवधि 10/2014 से 3/2015 के दौरान ₹1723500 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। यदि कार्य का आबंटन नियमानुसार सभी विहित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए मै0 सुलभ इन्टरप्राईजिज को आबंटित किया जाता तो नगर परिषद की कुव्यवस्था के कारण हुई ₹1723500 की वितीय हानि से बचा जा सकता था। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण में पाई गई अनियमितताओं का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि की जिम्मेवारी का निर्धारण करना भी सुनिश्चित किया जाएः–

अवधि 10/2014 से 3/2015 तक प्राप्त आय व व्यय

माह	**घर–द्वार से प्राप्त शुल्क (₹)**	**मै0 सन साईन को कृत भुगतान (₹)**
10/2014	126780	600000
11/2014	197020	500000
12/2014	94360	300000
1/2015	211490	–
2/2015	179930	300000
3/2015	130870	700000
4/2015	62600	–
8/2015	–	326550
योग	**1003050**	**2726550**

(ख) घर–द्वार से कूड़ा उठाने के शुल्क की प्राप्ति हेतु ₹10500 का अतिरिक्त व्यय करना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कुल्लू द्वारा घर–द्वार से कूड़ा उठाने हेतु निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के सन्दर्भ में ₹10500 का भुगतान मै0 चन्देल प्रीटिंग प्रैस कुल्लू को रसीद बुकें छपवाने के लिए किया गया। यदि इस कार्य को मै0 सनसाईन इन्टरपाईजिज चण्डीगढ़ पूर्व में निर्धारित शर्तों पर करती या इस कार्य को मै0 सुलभ इन्टरप्राइजिज कुल्लू को आबंटित किया जाता तो रसीद बुकों की छपवाई पर किये गये अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता थां।

(ग) मै0 सनसाईन इन्टरप्राइजिज को दत्त भुगतान से ₹0.93 लाख की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि

घर द्वार से कूड़ा उठाने हेतु आबंटित कार्य के सन्दर्भ में मै0 सनसाईन इन्टरप्राईजिज चण्डीगढ़ को अवधि 10/2014 से 3/2015 तक किये गये भुगतान व वसूली योग्य राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त अवधि में फर्म को किये गये भुगतान में से निम्न वर्णित वसूली योग्य राशियों की वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण संस्था को ₹93000 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः–

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
1	11 बार्डों पर ₹1000 प्रति वार्ड की दर से धरोहर राशि	11000
2	ढालपुर शौचालय के रख–रखाव हेतु धरोहर राशि	20000
3	माह 10/2015 व 11/2014 की ढालपुर शौचालय (@₹20000 Pm) के रख–रखाव की प्राप्ति योग्य राशि	40000
4	20 मद PVC किल्टे @ ₹600 प्रति किल्टा	12000
5	माह 9/2014 में बोर्डों से घर–द्वार से कूड़े हेतु कृत अनुचित वसूली जिस नगर परिषद के खाते में जमा नहीं करवाया है	10000
	कुल राशि	**₹93000**

अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा नगर परिषद को हुई ₹93000 की वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) घर द्वार से कूड़ा उठाने के कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 6 व 15 से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

मै0 सन साईन इन्टरप्राईजिज चण्डीगढ़ को घर द्वार से कूड़ा उठाने के कार्य आंबटन पत्र की शर्त संख्या 6 व 15 के अनुसार सफाई व्यवस्था पर लगाए गए कर्मियों की अनुपस्थिति का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में शर्तानुसार कृत भुगतान से ₹500 प्रतिदिन व ₹1000 प्रति वार्ड की दर से कटौती योग्य राशि का आँकलन सम्भव न हो सका। अतः ठेकेदार से अपेक्षित अभिलेख प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) अन्य मिश्रित अनियमितताऐं

(i) कार्य आबंटन के पश्चात कार्य आबंटन पत्र में विहित शर्तों व नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के साथ परिषद द्वारा अनुबन्ध नहीं किया गया था

(ii) धर–2 से कूड़ा एकत्र करने की एवज में शुल्क प्राप्त करने से सम्बन्धित माँग व संग्रह रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में देय शुल्क प्राप्त व शेष शुल्क की गणना सम्भव न हो सकी।

33 अंकेक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाना

(i) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89 दिनांक 30.8.18 के सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा ठोस कूड़ा कचरा प्रबन्धन परियोजना में तैयार खाद व उसकी बिक्री से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) गौ सदन के संचालन में कुल प्राप्ति व व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) नगर परिषद कुल्लू से आगामी दो वर्षों में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाओं को पूर्ण करके अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त अभिलेख के अभाव में सम्बन्धित मद का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अपेक्षित अभिलेख पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था।

35 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार एवं लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः V (13)/फिन (एल0ए0) खण्ड—2—3321—3322 दिनांक, 08.04.2019 शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला—171002 को पैरा संख्या 1 (ii) वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता / —
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 1/1953 से 31.3.2016 के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/53 से 3/56

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/56 से 3/57

1	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/58 से 3/59

1	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/59 से 3/60

1	पैरा–5	अनिर्णीत

(ङ) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या (5) (100) 3634 दिनांक 14.11.1961

1	पैरा–1 (1) (4)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/60 से 3/61

1	पैरा–13 (2) (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/62 से 3/64

1	पैरा–5 (1) (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (2) (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (1, 2, 3, 8)	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–14	अनिर्णीत
6	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/66

1	पैरा–9 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत
3	पैरा–11 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (d)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–17 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–20 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत

13	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–24 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–24 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–24 (6)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/66 से 3/67

1	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–19 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–20 (3)	अनिर्णीत

(ट) उप सचिव (बंजार) की 6/70 तथा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की दिनांक 6.7.1973 की निरीक्षण रिपोर्ट

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उतर तैयार किये गये थे जिस पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित की जाये।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/67 से 3/71

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत
3	पैरा–12	अनिर्णीत
4	पैरा–13	अनिर्णीत
5	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत

7	पैरा–16 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–17 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–18	अनिर्णीत
14	पैरा–19	अनिर्णीत
15	पैरा–20	अनिर्णीत
16	पैरा–21 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–22	अनिर्णीत
20	पैरा–23	अनिर्णीत
21	पैरा–25	अनिर्णीत
22	पैरा–26	अनिर्णीत
23	पैरा–27	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/71 से 3/74

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत
3	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–15 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत

11	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
13	पैरा–17 (जी)	अनिर्णीत
14	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–20	अनिर्णीत
17	पैरा–20 (3)	अनिर्णीत
18	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा–24 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा–24 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा–24 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा–25	अनिर्णीत

(ढ) 1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/76

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78

3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/80

उक्त अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को इस बार भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई थी।

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (21)	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत
4	पैरा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत

7	पैरा—9	अनिर्णीत
8	पैरा—10	अनिर्णीत
9	पैरा—11	अनिर्णीत
10	पैरा—12	अनिर्णीत
11	पैरा—13	अनिर्णीत
12	पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा—14 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा—14 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा—14 (6)	अनिर्णीत
17	पैरा—14 (7)	अनिर्णीत
18	पैरा—14 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा—14 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा—14 (8) (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा—14 (9)	अनिर्णीत
22	पैरा—14 (10)	अनिर्णीत
23	पैरा—15	अनिर्णीत
24	पैरा—16	अनिर्णीत
25	पैरा—17	अनिर्णीत
26	पैरा—18	अनिर्णीत
27	पैरा—19 (ए) (2) (3)	अनिर्णीत
28	पैरा—19 (बी)	अनिर्णीत
29	पैरा—20	अनिर्णीत
30	पैरा—21	अनिर्णीत
31	पैरा—22	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा–3 (ए बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (सी) (1, 2)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (2) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (1 से 6)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (1, 2)	अनिर्णीत
9	पैरा–10 (1, 2)	अनिर्णीत
10	पैरा–11	अनिर्णीत
11	पैरा–12	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा–13 (बी) (1 2)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए से एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
17	पैरा–17 (ए, बी)	अनिर्णीत
18	पैरा–18 (ए, बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–18 (एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा–19 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–24 (1) (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
23	पैरा–24 (2, 3, 4)	अनिर्णीत
24	पैरा–25 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–25 (डी, ई)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.2.91 से 31.3.92

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क) (7) (8)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (1) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (ख) (1, 2)	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (ख) (6)	अनिर्णीत
14	पैरा–15 (ख) (9 से 13)	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–22 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
19	पैरा–25	अनिर्णीत
20	पैरा–27 (2, 3)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (1, 2)	अनिर्णीत

7	पैरा–13 (1, 2)	अनिर्णीत
8	पैरा–14	अनिर्णीत
9	पैरा–15 (1, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा–16 (ख) (3, 5, 7)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (ख) 11	अनिर्णीत
13	पैरा–17 (1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा–18	अनिर्णीत
15	पैरा–19 (क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–21	अनिर्णीत
17	पैरा–23 (1 3)	अनिर्णीत
18	पैरा–24 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत

(न) निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0)

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–3	अनिर्णीत
3	पैरा–4	अनिर्णीत
4	पैरा–5	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–12	अनिर्णीत

9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–16 (ख) (1, 2, 3, 4, 6)	अनिर्णीत
14	पैरा–17 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा–23 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–24 (1, 2)	अनिर्णीत
21	पैरा–25 (2, 3)	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–11	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–13	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत

15	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा–14 (11)	अनिर्णीत
23	पैरा–14 (12)	अनिर्णीत
24	पैरा–14 (13)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (14)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (15)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (16)	अनिर्णीत
28	पैरा–14 (17) (1)	अनिर्णीत
29	पैरा–14 (17) (2)	अनिर्णीत
30	पैरा–14 (18)	अनिर्णीत
31	पैरा–14 (19) (1)	अनिर्णीत
32	पैरा–14 (19) (2)	अनिर्णीत
33	पैरा–14 (20) (1) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–14 (21)	अनिर्णीत
35	पैरा–14(22)	अनिर्णीत
36	पैरा–14 (23)	अनिर्णीत
37	पैरा–14 (24)	अनिर्णीत
38	पैरा–14 (25)	अनिर्णीत
39	पैरा–14 (26)	अनिर्णीत
40	पैरा–14 (27)	अनिर्णीत
41	पैरा–14 (28)	अनिर्णीत
42	पैरा–14 (29)	अनिर्णीत
43	पैरा–14 (30) (1, 2)	अनिर्णीत

44	पैरा–14 (31)	अनिर्णीत
45	पैरा–14 (32)	अनिर्णीत
46	पैरा–14 (33)	अनिर्णीत
47	पैरा–14 (35)	अनिर्णीत
48	पैरा–14 (37)	अनिर्णीत
49	पैरा–14 (38)	अनिर्णीत
50	पैरा–14 (41)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
52	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
53	पैरा–17 (ख) (2)	अनिर्णीत
54	पैरा–17 (ग) (2)	अनिर्णीत
55	पैरा–17 (ग) (3)	अनिर्णीत
56	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत
57	पैरा–18	अनिर्णीत
58	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत
59	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत
60	पैरा–19 (3)	अनिर्णीत
61	पैरा–19 (4)	अनिर्णीत
62	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
63	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत
64	पैरा–20 (3)	अनिर्णीत
65	पैरा–20 (4)	अनिर्णीत
66	पैरा–20 (5)	अनिर्णीत
67	पैरा–21	अनिर्णीत
68	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा–22 (2)	अनिर्णीत
70	पैरा–22 (5) (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
71	पैरा–22 (6)	अनिर्णीत
72	पैरा–22 (7)	अनिर्णीत

73	पैरा—23	अनिर्णीत
74	पैरा—24	अनिर्णीत
75	पैरा—25	अनिर्णीत
76	पैरा—26 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा—26 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा—26 (3)	अनिर्णीत
79	पैरा—26 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा—26 (5)	अनिर्णीत
81	पैरा—26 (6)	अनिर्णीत
82	पैरा—26 (7)	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001

1	पैरा—3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा—6 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा—7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा—7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा—8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा—8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा—8 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा—9	अनिर्णीत
12	पैरा—10	अनिर्णीत
13	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा—12 (क)	आंशिक निर्णीत
16	पैरा—13	अनिर्णीत
17	पैरा—14 (क)	अनिर्णीत

18	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (घ) (1)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (घ) (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–14 (ङ)	अनिर्णीत
23	पैरा–14 (छ) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–14 (झ) (1)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (ञ)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (त)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (थ)	अनिर्णीत
28	पैरा–14 (द)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (2) (1, 2, 3– 5, 6, 7)	आंशिक निर्णीत
31	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
32	पैरा–17	आंशिक निर्णीत
33	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/2007

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (b)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (c) (i) से (iv)	अनिर्णीत

6	पैरा–4 (c) (1 ,2)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (d)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (e)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (f)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (g)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (h)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (j)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (k)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (l)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (m)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (n)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (o)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (p)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (q)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (r)	अनिर्णीत
22	पैरा–5 (a)	अनिर्णीत
23	पैरा–5 (b)	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (c)	अनिर्णीत
25	पैरा–5 (d)	अनिर्णीत
26	पैरा–5 (e)(i)	अनिर्णीत
27	पैरा–5 (e)(ii)	अनिर्णीत
28	पैरा–5 (e) (iii)	अनिर्णीत
29	पैरा–5 (f)	अनिर्णीत
30	पैरा–5 (g)	अनिर्णीत
31	पैरा–5 (h)	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (a)	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (b)	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (c)	अनिर्णीत

35	पैरा–6 (d)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (e)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (f)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (g)	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (h)	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
41	पैरा–6 (j)	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (k)	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (l)	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (m)	अनिर्णीत
45	पैरा–6 (n)	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (o)	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (p)	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (q)	अनिर्णीत
49	पैरा–6 (r)	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (s)	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (t)	अनिर्णीत
52	पैरा–6 (u)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (w)	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (x)	अनिर्णीत
56	पैरा–6 (y)	अनिर्णीत
57	पैरा–6 (z)	अनिर्णीत
58	पैरा–6 (A)	अनिर्णीत
59	पैरा–6 (B)	अनिर्णीत
60	पैरा–6 (C) (क ख ग)	अनिर्णीत
61	पैरा–6 (D)	अनिर्णीत
62	पैरा–6 (E)	अनिर्णीत
63	पैरा–6 (F)	अनिर्णीत

64	पैरा–6 (G)	अनिर्णीत
65	पैरा–6 (H)	अनिर्णीत
66	पैरा–6 (I)	अनिर्णीत
67	पैरा–6 (J)	अनिर्णीत
68	पैरा–6 (K)	अनिर्णीत
69	पैरा–6 (L)	अनिर्णीत
70	पैरा–6 (M)	अनिर्णीत
71	पैरा–6 (N)	अनिर्णीत
72	पैरा–6 (O)	अनिर्णीत
73	पैरा–6 (P)	अनिर्णीत
74	पैरा–6 (Q)	अनिर्णीत
75	पैरा–6 (R)	अनिर्णीत
76	पैरा–6 (S)	अनिर्णीत
77	पैरा–6 (T)	अनिर्णीत
78	पैरा–6 (U)	अनिर्णीत
79	पैरा–6 (V)	अनिर्णीत
80	पैरा–6 (V) (क ख ग घ)	अनिर्णीत
81	पैरा–6 (X)	अनिर्णीत
82	पैरा–6 (Y)	अनिर्णीत
83	पैरा–6 (Z)	अनिर्णीत
84	पैरा–6 (a-1)	अनिर्णीत
85	पैरा–6 (a-2)	अनिर्णीत
86	पैरा–6 (b-1)	अनिर्णीत
87	पैरा–6 (c-1)	अनिर्णीत
88	पैरा–6 (d-1)	अनिर्णीत
89	पैरा–6 (e-1) (क से छ)	अनिर्णीत
90	पैरा–6 (f-1)	अनिर्णीत
91	पैरा–6 (g-1)	अनिर्णीत
92	पैरा–6 (h-1)	अनिर्णीत

93	पैरा–6 (i-1)	अनिर्णीत
94	पैरा–6 (j-1)	अनिर्णीत
95	पैरा–6 (k-1)	अनिर्णीत
96	पैरा–6 (l-1)	अनिर्णीत
97	पैरा–6 (m-1)	अनिर्णीत
98	पैरा–6 (n-1)	अनिर्णीत
99	पैरा–6 (O-1)	अनिर्णीत
100	पैरा–6 (P-1)	अनिर्णीत
101	पैरा–6 (Q-1)	अनिर्णीत
102	पैरा–6 (R-1)	अनिर्णीत
103	पैरा–6 (S-1)	अनिर्णीत
104	पैरा–6 (T-1)	अनिर्णीत
105	पैरा–6 (U-1)	अनिर्णीत
106	पैरा–6 (V-1)	अनिर्णीत
107	पैरा–6 (W-1)	अनिर्णीत
108	पैरा–6 (X-1)	अनिर्णीत
109	पैरा–6 (Y-1)	अनिर्णीत
110	पैरा–6 (Z-1)	अनिर्णीत
111	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
112	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
113	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
114	पैरा–7 (a)	अनिर्णीत
115	पैरा–7 (b)	अनिर्णीत
116	पैरा–7 (c)	अनिर्णीत
117	पैरा–7 (d)	अनिर्णीत
118	पैरा–7 (e)	अनिर्णीत
119	पैरा–7 (f)	अनिर्णीत
120	पैरा–7 (g)	अनिर्णीत
121	पैरा–7 (h)	अनिर्णीत

122	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
123	पैरा–7 (j)	अनिर्णीत
124	पैरा–7 (k)	अनिर्णीत
125	पैरा–7 (l)	अनिर्णीत
126	पैरा–7 (m)	अनिर्णीत
127	पैरा–7 (n) (a, b)	अनिर्णीत
128	पैरा–7 (o)	अनिर्णीत
129	पैरा–7 (p)	अनिर्णीत
130	पैरा–7 (q)	अनिर्णीत
131	पैरा–8 (a)	अनिर्णीत
132	पैरा–8 (b)	अनिर्णीत
133	पैरा–8 (c)	अनिर्णीत
134	पैरा–8 (d)	अनिर्णीत
135	पैरा–8 (d) (1, 2, 3, 4, 5)	अनिर्णीत
136	पैरा–8 (d) (6) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
137	पैरा–8 (e) (1, 2)	अनिर्णीत
138	पैरा–9 (a)	अनिर्णीत
139	पैरा–9 (b)	अनिर्णीत
140	पैरा–9 (c)	अनिर्णीत
141	पैरा–9 (d)	अनिर्णीत
142	पैरा–9 (e)	अनिर्णीत
143	पैरा–9 (f)	अनिर्णीत
144	पैरा–9 (g)	अनिर्णीत
145	पैरा–9 (h) (i) से (iv)	अनिर्णीत

(म) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत
9	पैरा–5	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (11)	अनिर्णीत
23	पैरा–6 (12)	अनिर्णीत
24	पैरा–7	अनिर्णीत
25	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
26	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
27	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत

30	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत
31	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
32	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
33	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
34	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
35	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
36	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत
37	पैरा–8 (6) (क)	अनिर्णीत
38	पैरा–8 (6) (ख)	अनिर्णीत
39	पैरा–8 (6) (ग)	अनिर्णीत
40	पैरा–8 (7)	अनिर्णीत
41	पैरा–8 (7) (क)	अनिर्णीत
42	पैरा–8 (7) (ख)	अनिर्णीत
43	पैरा–8 (7) (ग)	अनिर्णीत
44	पैरा–8 (7) (घ)	अनिर्णीत
45	पैरा–8 (7) (ङ)	अनिर्णीत
46	पैरा–8 (8)	अनिर्णीत
47	पैरा–8 (8) (क)	अनिर्णीत
48	पैरा–8 (8) (ख)	अनिर्णीत
49	पैरा–8 (8) (ग)	अनिर्णीत
50	पैरा–8 (8) (घ)	अनिर्णीत
51	पैरा–8 (9)	अनिर्णीत
52	पैरा–8 (10)	अनिर्णीत
53	पैरा–8 (11)	अनिर्णीत
54	पैरा–8 (12)	अनिर्णीत
55	पैरा–8 (13)	अनिर्णीत
56	पैरा–8 (13) (क)	अनिर्णीत
57	पैरा–8 (13) (ख)	अनिर्णीत
58	पैरा–8 (13) (ग)	अनिर्णीत

59	पैरा–8 (13) (घ)	अनिर्णीत
60	पैरा–8 (13) (ङ)	अनिर्णीत
61	पैरा–8 (14)	अनिर्णीत
62	पैरा–8 (15)	अनिर्णीत
63	पैरा–8 (15) (क)	अनिर्णीत
64	पैरा–8 (15) (ख)	अनिर्णीत
65	पैरा–8 (15) (ग)	अनिर्णीत
66	पैरा–8 (16)	अनिर्णीत
67	पैरा–8 (16) (क)	अनिर्णीत
68	पैरा–8 (16) (ख)	अनिर्णीत
69	पैरा–8 (17)	अनिर्णीत
70	पैरा–8 (18)	अनिर्णीत
71	पैरा–8 (19)	अनिर्णीत
72	पैरा–8 (20)	अनिर्णीत
73	पैरा–8 (21)	अनिर्णीत
74	पैरा–8 (22)	अनिर्णीत
75	पैरा–8 (23)	अनिर्णीत
76	पैरा–8 (23) (क)	अनिर्णीत
77	पैरा–8 (23) (ख)	अनिर्णीत
78	पैरा–8 (23) (ग)	अनिर्णीत
79	पैरा–8 (24)	अनिर्णीत
80	पैरा–8 (25)	अनिर्णीत
81	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
82	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
83	पैरा–9 (2) (क)	अनिर्णीत
84	पैरा–9 (2) (ख)	अनिर्णीत
85	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
86	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
87	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत

88	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
89	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
90	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
91	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
92	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
94	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
95	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
96	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
97	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
98	पैरा–11 (2) (क)	अनिर्णीत
99	पैरा–11 (2) (ख)	अनिर्णीत
100	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
101	पैरा–11 (4) (क)	अनिर्णीत
102	पैरा–11 (4) (ख)	अनिर्णीत
103	पैरा–12	अनिर्णीत
104	पैरा–13	अनिर्णीत

(य) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्या 8, 9 व 11 में दी गई है)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	

7	पैरा—12	अनिर्णीत	
8	पैरा—13	अनिर्णीत	
9	पैरा—14	निर्णीत	(₹1850 की वसूली वाऊचर संख्या 62 माह 10/2016 के द्वारा करने की पुष्टि कर ली गई)
10	पैरा—15	अनिर्णीत	
11	पैरा—16	अनिर्णीत	
12	पैरा—17	अनिर्णीत	
13	पैरा—18	अनिर्णीत	
14	पैरा—19	अनिर्णीत	
15	पैरा—20	अनिर्णीत	
16	पैरा—22	अनिर्णीत	
17	पैरा—23	अनिर्णीत	
18	पैरा—24	अनिर्णीत	
19	पैरा—25	अनिर्णीत	
20	पैरा—26	अनिर्णीत	
21	पैरा—27	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री यशपाल चपड़ासी से ₹2318 व श्री प्रकाश टोलू गार्ड से ₹2318 की वसूली की गई)
22	पैरा—28	निर्णीत	(₹3791 की वसूली वाउचर संख्या 69 व 76 माह 7/2016 के द्वारा करने की पुष्टि कर ली गई)
23	पैरा—29	निर्णीत	(₹6638 की वसूली वाउचर संख्या 69 के द्वारा कर ली गई)
24	पैरा—30	निर्णीत	(₹24657 की वसूली वाउचर संख्या 70 माह 7/2016 के द्वारा करने की पुष्टि कर ली गई)
25	पैरा—31	अनिर्णीत	

26	पैरा–32	निर्णीत	(₹4858+8540+11889=₹25287 की वसूली करने की पुष्टि कर ली गई)
27	पैरा–33	निर्णीत	(₹227 की वसूली जी–8 संख्या 8/320 दिनाँक 19.11.2018 के द्वारा करने की पुष्टि कर ली गई)
28	पैरा–34	निर्णीत	(₹327 की वसूली जी–8 संख्या 9/320 दिनाँक 19.11.2018 के द्वारा करने की पुष्टि कर ली गई)
29	पैरा–35	अनिर्णीत	
30	पैरा–36	अनिर्णीत	
31	पैरा–37	अनिर्णीत	
32	पैरा–38	अनिर्णीत	
33	पैरा–39	अनिर्णीत	
34	पैरा–40	अनिर्णीत	
35	पैरा–41	अनिर्णीत	
36	पैरा–42	अंशतः निर्णीत	(₹6940 की वसूली श्री कमलेश कुमार व ₹69538 की वसूली श्रीमति सीता देवी पत्नी श्री अच्छर सिंह को देय फैमिली पैन्शन से 62 माह 10/2016 के द्वारा करने की पुष्टि कर ली गई)
37	पैरा–43	अनिर्णीत	
38	पैरा–44	अनिर्णीत	

(र) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्याः 8 (ग) में दी गई है)

5	पैरा–10	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्याः 9, 10 व 11 (क) में दी गई है)
6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	अनिर्णीत	
9	पैरा–15	अनिर्णीत	
10	पैरा–17 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–18	अनिर्णीत	
12	पैरा–19	अनिर्णीत	
13	पैरा–20	अनिर्णीत	
14	पैरा–21	अनिर्णीत	

(ल) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/16

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त)
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्या 8 में दी गई है)
5	पैरा–8	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्या 8 में दी गई है)
6	पैरा–9	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्या 8 में दी गई है)
7	पैरा–10	अनिर्णीत	
8	पैरा–11	अनिर्णीत	
9	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	

11	पैरा–13	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18 के पैरा संख्या 16 में दी गई है)
12	पैरा–14 (क)	निर्णीत	(चिकित्सा भत्ते की अधिक अदायगी की वसूली माह 9/2017 से 12/2017 के वेतन बिलों से कर ली गई)
13	पैरा–14 (ख)	निर्णीत	(वसूली मौके पर कर ली गई थी)
14	पैरा–14 (ग)	निर्णीत	(वसूली मौके पर कर ली गई थी)
15	पैरा–14 (घ)	निर्णीत	(वसूली मौके पर कर ली गई थी)
16	पैरा–14 (ङ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–14 (च)	निर्णीत	(₹384 की वसूली पैन्शन भुगतान बिल माह 9/2017 से कर ली गई है)
18	पैरा–15 (क)	निर्णीत	(वसूली मौके पर कर ली गई थी)
19	पैरा–15 (ख)	निर्णीत	(वसूली मौके पर कर ली गई थी)
20	पैरा–16	अनिर्णीत	
21	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.3.16 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	656
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरों की सं0	31
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरों की सं0	22
अन्तशेष	665